न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 03/2021 G.C.M.S. No. 2021/5 दर्ज दिनांक : 06.01.2021

अपीलार्थी:

1. मुकेशकुमार पुत्र गिरधारीलाल, जाति राव, निवासी सेवाडी, तहसील बाली व जिला पाली।

बनाम

प्रत्यर्थिगण:

1. कैलाशकंवर पत्नि मनोज कुमार, जाति राव, निवासी सेवाडी, तहसील बाली व जिला पाली।
2. भूमिधारी तहसीलदार बाली, तहसील बाली व जिला पाली।
3. रमेशकुमार पुत्र मोतीलाल, जाति जणवा, उम्र बालिग, निवासी गुडा सिरवीयान सेवाड़ी, तहसील बाली व जिला पाली।

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर बाली द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 61/2020 बअनवान मुकेशकुमार बनाम कैलाशकंवर वगैरह में पारित आदेश दिनांक 11.11.2020

पैरोकार–

1. श्री मनीष राजपुरोहित, श्री महेशसिंह राजपुरोहित, विद्वान अभिभाषक अपीलांट।
2. श्री नवीन दवे, श्री अर्जुनसिंह राजपुरोहित, विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेंट।

निर्णय

दिनांक: 30.01.2026

अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सहायक कलक्टर बाली द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 61/2020 बअनवान मुकेशकुमार बनाम कैलाशकंवर वगैरह में पारित आदेश दिनांक 11.11.2020 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई हैं। प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है–

यह कि हस्तगत प्रकरण में रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 ने अपीलाण्ट के विरूद्ध एक वाद सख्या 06/2020 अनवान श्रीमती कैलाश कंवर बनाम मुकेश कुमार अन्तर्गत धारा 88, 89, 53, 188 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट का पेश किया जिसमें अपीलाण्ट के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही कर प्राथमिक डिक्री दिनाक 29.10.2020 को पारित की गई, उक्त आदेश को अपास्त करवाने हेतु अपीलाण्ट द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 13 सपठित धारा 151 सीपीसी के तहत पेश कर यह निवेदन किया कि प्रार्थी को जवाब दावा प्रस्तुत कर वाद को कन्टेस्ट करने की अनुज्ञा प्रदान करें। जिसमें बाद अवलोकन पत्रावली व वकील प्रार्थी की दलीलों पर मनन करने के पश्चात प्रार्थी मुकेश कुमार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 13 सपठित धारा 151 सीपीसी

Scanned with OKEN Scanner

खारिज कर दिया दिया, उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलाट द्वारा उक्त अपील प्रस्तुत की गई हैं कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के अनुसार प्रत्येक पक्षकार को साक्ष्य सुनवाई का उचित अवसर प्रदान किया जाना आवश्यक व न्याय संगत है, परन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने एकतरफा रूख अपनाते हुए अपीलाण्ट को बिना साक्ष्य सुनवाई का उचित अवसर प्रदान किये, प्राथमिक डिक्री व अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रथम दृष्टया ही यह स्पष्ट था कि वर्णित भूमि अपीलार्थी के खाते में दर्ज है। खातेदार के विरूद्ध कोई खातेदार को सुने बिना किसी भी प्रकार की प्राथमिक डिक्री जारी करने का विधिक प्रावधान नहीं हैं, इसके बावजूद एकतरफा रूप से पारित आदेश रेकर्डेड खातेदार के विरूद्ध जारी किया जाना विधि के सुस्थापित सिद्धान्तों एवं विधि की प्रक्रिया के विरूद्ध मनमाना है। अधिनस्थ न्यायलय ने न तो अभिवचनों को पढ़ा, न ही समझने का प्रयास किया। मात्र अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण का निस्तारण करने की औपचारिकता के आधार पर हाजा आदेश पारित किया गया है। अपीलाण्ट के विरूद्ध न्यायालय द्वारा एकतरफा कार्यवाही किये जाने, पत्रावली में प्राथमिक डिक्री पारित किये जाने, विभाजन मंगवाये जाने की सम्पूर्ण जानकारी अपीलाण्ट को दिनाक 03.11.2020 को ही हुई हैं, इससे पूर्व अपीलाण्ट को कभी भी नहीं रही हैं। अपीलाण्ट को जिसकी जानकारी होते ही अपीलाण्ट द्वारा निर्णय डिक्री दिनाक 23.10.2020 को अपास्त कराने हेतु बिना देरी के अपीलाधीन आदेश का आवेदन अन्दर अवधि पेश किये जाने के बावजूद भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र खारिज किया गया। अपीलाण्ट व रेस्पोंडेण्ट के मध्य वादग्रस्त भूमि का बंटवारा पूर्व में किया जा चुका है, तथा उसी बंटवारे के अनुरूप अपीलाण्ट व रेस्पोंडेण्ट वादग्रस्त भूमि पर काबिज थें, अपीलाण्ट व रेस्पोंडेण्ट के मध्य बंटवारे बाबत एक लिखित नोटरीसुदा दस्तावेज भी दिनांक 04.07.2018 को निष्पादित किया गया है, उक्त लिखित दस्तावेज पर अपीलाण्ट व रेस्पोंडेण्ट दोनों के सहमतिपूर्वक हस्ताक्षर है, तथा उक्त लिखित बंटवारे का स्टाम्प भी रेस्पोंडेण्ट मनोज कुमार द्वारा खरीद किया गया है, जिसकी मूल प्रति अपीलाण्ट के पास उपलब्ध है। अपीलाण्ट के बंटवारे के अनुरूप ही वादग्रस्त भूमि में अपने हिस्से पर दक्षिण भारत से नींबू के पौधे लाकर रोपे गये, तथा उस पर लाखों रूपये खर्च कर नींबू के पौधों का बढ़ाया, अपने हिस्से पर ट्यूबवेल भी खोदी तथा खेती कार्य हेतु मकान भी बनाया यानि मुख्य रूप से अपने हक हिस्से की भूमि पर अपीलाण्ट ने लाखों रूपये खर्च कर उपयोगी व उपजाउ बनाया, अब रेस्पोंडेण्ट उपरोक्त स्थिति का फायदा उठाते हुए अपीलाण्ट की उपयोगी खातेदारी भूमि को नुकसान पहुंचाने पर आमादा है। जिससे अपीलांट को अपूरणीय क्षति हो रही हैं। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील आदेश अपास्त फरमावें।

राजस्व अपील प्राधिकारी
फलोदी

Scanned with OKEN Scanner

अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट्स व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया।

हमनें प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी व उस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है–

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि रेसपोंडेंट संख्या 1 द्वारा अपीलांट के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त संयुक्त सहखातेदारी आराजी के संबंध में एक वाद अंतर्गत धारा 53, 88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत किया। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट प्रतिवादी के विरूद्ध दिनांक 28.10.2020 को एकपक्षीय कार्यवाही कर दिनांक 29.10.2020 को प्रकरण निर्णित व प्राथमिक डिक्री किया गया। प्रतिवादी अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में एकपक्षीय निर्णय व डिक्री को अपास्त करवाने के लिए आदेश 9 नियम 13 सपठित धारा 151 सीपीसी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जिसमें पारित आदेश दिनांक 11.11.2020 द्वारा प्रार्थना पत्र खारिज किया गया। जिसके विरूद्ध अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील 06.01.2021 को अंदर म्याद प्रस्तुत की गई।
2. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादी रेस्पोंडेंट द्वारा प्रस्तुत वादपत्र दिनांक 12.02.2020 को दर्ज कर प्रतिवादी अपीलांट को नोटिस प्रेषित किए गए तथा पत्रावली दिनांक 24.03.2020 को नियत की गई। दिनांक 24.03.2020 की आदेशिका अंकनानुसार न्यायिक कार्य संपादित नहीं हुआ तथा पत्रावली दिनांक 27.05.2020 को नियत की गई। दिनांक 27.05.2020 के अंकनानुसार लॉकडाउन होने से पत्रावली 21.07.2020 को नियत की गई। आदेशिका दिनांक 21.07.2020 के अंकनानुसार कोरोना वायरस होने से कार्य स्थगन से पेशी ईल्त्वा होकर 15.09.2020 नियत की गई। अपीलांट प्रतिवादी के विरूद्ध दिनांक 28.10.2020 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई तथा साक्ष्य वादी पूर्ण कर पत्रावली 29.10.2020 को आदेशार्थ रखी गई तथा 29.10.2020 को एकपक्षीय प्राथमिक डिक्री पारित की गई।
3. उपर्युक्त विवेचन व अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट प्रतिवादी को प्रेषित सम्मन के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादी के नाम दिनांक 24.03.2020 को उपस्थिति हेतु सम्मन प्रेषित किया गया। लेकिन दिनांक 24.03.2020 को कोई न्यायिक कार्य संपादित ही नहीं हुआ। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय से यह अपेक्षित था कि प्रकरण में प्रतिवादी को पुनः सम्मन जारी किए जाकर तलब किया जाता। लेकिन ऐसा नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि उक्त अवधि में कोविड–19 जनित महामारी से लॉकडाउन प्रवृत्त में था तथा

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

अत्यावश्यक प्रकरणों को छोड़कर नियमित विचारण निलंबित रखा गया तथा एकपक्षीय कार्यवाही निषेधित थीं। इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सुओ मोटो रिट पिटीशन (c) नंबर 03/2020 में पारित निर्णय दिनांक 10.01.2022 द्वारा दिनांक 15.03.2020 से 28.02.2022 तक की अवधि को कोविड–19 महामारी से प्रभावित अवधि मानते हुए सभी प्रकार की परिसीमा अवधि के लिए क्षम्य अवधि माना है। अतः स्पष्ट है कि अपीलांट प्रतिवादी जानबूझकर अधीनस्थ न्यायालय में अनुपसंजात नहीं रहा है। बल्कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्धारित तारीख पेशी को न्यायालय में न्यायिक कार्य संपादित नहीं होने तथा इसके पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादी अपीलांट को कोई नोटिस जारी नहीं करने तथा प्रश्नगत कालावधि कोविड–19 महामारी जनित लॉकडाउन से प्रभावित अवधि होने के कारण प्रतिवादी अधीनस्थ न्यायालय में मजबूरन उपस्थित नहीं हो सका। अतः हमारे विनम्र मत में विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा उक्त अवधि के दरम्यान अपीलांट के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही कर अपीलाधीन एकपक्षीय डिक्री पारित करने में कानूनन भूल की हैं।

4. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हमारे विनम्र मत में अपील अपीलांट बखूबी साबित होने से स्वीकार किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में अपीलांट प्रतिवादी के विरूद्ध दिनांक 28.10.2020 को की गई एकपक्षीय कार्यवाही को अपास्त करते हुए दिनांक 29.10.2020 को पारित एकपक्षीय निर्णय व प्राथमिक डिक्री अपास्त कर प्रकरण विधिनुरूप पुनः निर्णयन के निर्देश के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना पूर्णतया विधिसम्मत व उचित होगा।

आदेश

अतः निष्कर्षतः अपील अपीलांट अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित होने व सारवान होने से स्वीकार की जाती हैं तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बाली द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 61/2020 बअनवान मुकेशकुमार बनाम कैलाशकंवर वगैरह में पारित आदेश दिनांक 11.11.2020 को अपास्त करते हुए अपीलांट प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 9 नियम 13 सपठित धारा 151 सीपीसी सारवान होने से स्वीकार किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व वाद संख्या 06/2020 बअनवान कैलाशकंवर बनाम मुकेशकुमार वगैरह में प्रतिवादी अपीलांट के विरूद्ध दिनांक 28.10.2020 को पारित एकपक्षीय कार्यवाही आदेश अपास्त करते हुए दिनांक 29.10.2020 को पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री अपास्त की जाकर प्रकरण अधीनस्थ विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में अपीलांट प्रतिवादी को जवाब प्रस्तुत करने एवं उभयपक्षकारान को साक्ष्य व प्रतिरक्षा का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करते हुए वादपत्रों के निस्तारण हेतु व्यवहार

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

प्रक्रिया संहिता 1908 व राजस्थान राजस्व न्यायालय मैन्युअल 1956 में विहित आज्ञापक विधिक प्रक्रियागत प्रावधानों का अनुपालन करते हुए प्रकरण विधिनुरूप पुनः निर्णित करें। उभयपक्षकारान को जरिये अधिवक्तागण पाबंद किया जाता है कि वे दिनांक 09.03.2026 को असालतन/वकालतन न्यायालय सहायक कलक्टर बाली में उपस्थित रहें। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्रेषित किया जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक **30.01.2026** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर व न्यायालय मुहर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

Scanned with OKEN Scanner